न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 10/2020 **RCMS 2020/00018**

वादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र लिछमणराम जाति कुमावत उम्र 39 वर्ष निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि .भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नगौर (राज.)
2. पटवारी हल्का पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागोर (राज.)

प्रार्थना–पत्र बाबत् राजस्व अभिलेख मे लिपिकीय त्रुटी सुधार हेतु अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 17.2.2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 738 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय भूमि प्रार्थी की खातेदारी व हक हिस्से की सह खातेदारान के साथ आई हुई है, प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पूर्व में अपने पिताजी के नाम से आई हुई थी उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्र ओमप्रकाश के नाम विरासत नामान्तरकरण दर्ज हो गया लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश दर्ज कर दिया जो कि एक हल्का पटवारी द्वारा की गई लिपीकीय त्रुटी थी तथा उक्त नाम प्रकाश ही राजस्व अभिलेख में आज दिन तक दर्ज चला आ रहा है, प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश है तथा प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, आदि में भी ओमप्रकाश है परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रकाश दर्ज हो गया है प्रार्थी का नाम बैंक एकाउण्ट में भी ओमप्रकाश है, प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में हुई लिपिकीय त्रुटी को सुधार करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थना–पत्र लाना लाजमी हुआ, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 738 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय के राजस्व अभिलेख दर्ज प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र लिछमणराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र लिछमणराम कर लिपिकीय त्रुटी में सुधार कर दर्ज किए जाने के आदेश अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दिए जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को [illegible] तलब किया गया, बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2075 की नकल, राशन कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक पासबुक की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई जिसने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है तथा प्रकाश के स्थान पर दस्तावेज अनुसार ओमप्रकाश किये जाने का निवेदन किया है। उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, उपरोक्त प्रस्तुत समस्त तथ्यो में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र लिछमणराम ही है, राजस्व रेकार्ड में पिता की मृत्यु पर भरे नामान्तरकरण में प्रकाश दर्ज किया गया है जो दुरूस्त काबिल है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार काबिल होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रकाश पुत्र लिछमणराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र लिछमणराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 737 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 738 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय में खातेदार प्रकाश पुत्र लिछमणराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र लिछमणराम शुद्व प्रविष्टि राजस्व रेकाड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 17/2/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:18 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.28 13:01:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: